# पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

सरकार ने **कौशल विकास पाठ्यक्रमों** तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधित '**मॉडल कौशल ऋण योजना**' शुरू की है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

- नई योजना में **अधिकतम ऋण सीमा** 1.5 लाख रुपए से **बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए** कर दी गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई **पुरानी योजना में अपर्याप्त ऋण सीमा के कारण कम रुचि** देखी गई।
- **केंद्रीय बजट सत्र 2024-2025** में घोषित, संशोधित योजना का उद्देश्य सालाना 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इसमें अब **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)**, **NBFC-MFI (सूक्ष्म-वित्त संस्थान)** और **छोटे वित्त बैंक** पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल हैं।
- **कोर्स तक पहुँच का विस्तार:** संशोधित योजना में अब पुरानी योजना के तहत केवल **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)-संरेखित पाठ्यक्रमों** के बजाय अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की अनुमति मिलेगी। साथ ही, **स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म** पर शामिल किये गए गैर-NSQF पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
- **पिछला प्रदर्शन:** मार्च 2024 तक, 10,077 उधारकर्त्ताओं को 115.75 करोड़ रुपए की राशि के ऋण दिये गए, जो **उच्च पाठ्यक्रम शुल्क के कारण कम निधि उपयोग** को उजागर करता है।

**और पढ़ें:** **भारत में कौशल विकास**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revamped-model-skill-loan-scheme